परविार न्यायालय (संशोधन) वधियक, 2022

हाल ही में लोकसभा ने **परविार न्यायालय (संशोधन) वधियक, 2022** पारति कयि, जो **हमिाचल प्रदेश** और **नगालैंड** में पारविारकि न्यायालयों की स्थापना के लयि **परविार न्यायालय अधनियिम, 1984** में संशोधन करने का प्रयास करता है।

परविार न्यायालय एक्ट 1984:

- **पारविारकि न्यायालयों की स्थापना:**
  - पारविारकि न्यायालय अधनियिम, 1984 को पारविारकि न्यायालयों की स्थापना के लयि अधनियिमति कयि गया था ताकि सुलह को बढ़ावा दयि जा सके और ववािह तथा पारविारकि मामलों एवं संबंधति ववािदों का त्वरति नपिटारा सुनश्चिति कयि जा सके।
- **न्यायाधीशों की नयिुक्ति:**
  - राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से एक या अधकि व्यक्तयिों को परविार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नयिुक्त कर सकती है।
- **समाज कल्याण एजेंसयिों का संघ:**
  - राज्य सरकार नम्निलखिति के लयि पारविारकि न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है:
    - समाज कल्याण में लगे संस्थान या संगठन।
    - **परविार के कल्याण को बढ़ावा देने में पेशेवर रूप से लगे व्यक्ति।**
    - समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति।
    - कोई अन्य व्यक्ति जसिका परविार न्यायालय के साथ जुड़ाव इस अधनियिम के उद्देश्यों के अनुसार अपने अधकिार क्षेत्र का अधकि प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम होगा।

परविार न्यायालय (संशोधन) वधियक:

- यह 15 फरवरी, 2019 से हमिाचल प्रदेश राज्य में और 12 सतिंबर, 2008 से नगालैंड राज्य में परविार न्यायालय की स्थापना के लयि प्रावधान करना चाहता है।
- यह परविार न्यायालय (संशोधन) अधनियिम, 2022 के प्रारंभ होने से पहले हमिाचल प्रदेश और नगालैंड की राज्य सरकारों और उन राज्यों के परविार न्यायालय द्वारा कयि गए उक्त अधनियिम के तहत सभी कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्यता प्रदान करने के लयि एक नई धारा 3ए सम्मलिति करना चाहता है।
- वधियक के अनुसार, परविार न्यायालय के जज की नयिुक्ति के सभी आदेश और अधनियिम के तहत ऐसे जज की पोस्टगि, प्रमोशन या ट्रांसफर भी दोनों राज्यों में मान्य होंगे।

संशोधन की आवश्यकता:

- **26 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों** में स्थापति और कार्यरत **कुल 715 परविार न्यायालय हैं**, जनिमें से हमिाचल प्रदेश राज्य में तीन परविार न्यायालय और नगालैंड राज्य में दो परविार न्यायालय शामलि हैं।
- हालाँकि हिमाचल और नगालैंड के लयि इन राज्यों में उक्त अधनियिम को लागू करने के लयि **केंद्र सरकार द्वारा अधसिूचना जारी नहीं की गई थी।**
- हमिाचल प्रदेश राज्य में पारविार न्यायालयों के **अधकिार क्षेत्र की कमी के मुद्दे** को हमिाचल प्रदेश के **उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।**
  - यह कहा गया था कि चूँकि **केंद्र सरकार ने हमिाचल प्रदेश राज्य में परविार न्यायालयों के अधकिार क्षेत्र का वसि्तार करने के लयि कोई अधसिूचना जारी नहीं की है,** ऐसे न्यायालय अधकिार क्षेत्र के बनिा कार्य कर रहे हैं और उक्त अधनियिम के तहत कयि गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई शुरू से ही **शून्य प्रतीत होती है। (स्थापना का कोई कानूनी प्रभाव न होना)।**
- नगालैंड में भी परविार न्यायालय का संचालन व**र्ष 2008 से बनिा कसिी कानूनी अधकिार के कयि जा रहा था।**

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/family-courts-amendment-bill,-2022